"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2011—आषाढ़ 3, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री एम. के. पिंगुआ, भा.प्र.से. (1994) को विदेश प्रशिक्षण से वापस लौटने पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री पिंगुआ द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. पी. मण्डल, भा.प्र.से. (1987) सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग एवं सचिव, नगरीय विकास विभाग केवल सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2011

क्रमांक ई-1-5/2006/1/2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2010 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	जिले का नाम जहां सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किये गये हैं.
1.	सुश्री रानू साहू	दुर्ग
2.	श्री कार्तिकेय गोयल	रायगढ़
3.	श्री जय प्रकाश मौर्य	राजनांदगांव
4.	श्री सारांश मित्तर	बस्तर

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्य ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मई 2011

क्रमांक एफ 1-2/2011/1-सूअप्र.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ 7-16/2005/1/6 दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 के अनुक्रम में राज्य शासन, एतद्द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 (4) के तहत छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग की "सी शाखा" को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मई 2011

क्रमांक/एफ 20-33/2011/25-3.—राज्य शासन, एतद्द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती योजना नियम 2007 के नियम 4 में अंकित "कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के मध्य किया जावेगा" के स्थान पर "कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल से 31 मई के मध्य किया जावेगा" प्रतिस्थापित करता है.

2. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2011

क्रमांक 3566/1321/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अजय कुमार शर्मा, नोटरी, लैलूंगा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप, नोटरी अधिनियम 1952 की धारा-10 (अ) के अंतर्गत उनका नाम नोटरी रजिस्टर से हटाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम कुमार तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मई 2011

क्रमांक 621/तक./परि./2011.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 65, 96 तथा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 70 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 70-क जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"70-क प्रक्रम वाहनों के परमिट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत—

(1) यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मार्गों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जायेगा :—

(क) लघु मार्ग एक ओर से जिसकी दूरी 65 कि.मी. से अधिक नहीं है,

(ख) मध्यम मार्ग एक ओर से जिसकी दूरी 65 कि.मी. से अधिक किन्तु 165 कि.मी. से अधिक नहीं है, एवं

(ग) दीर्घ मार्ग एक ओर से जिसकी दूरी 165 कि.मी. से अधिक है.

(2) प्रक्रम वाहन के परमिट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण निम्नलिखित उपबंधों के अध्यधीन होगा :—

(एक) कोई प्रक्रम वाहन परमिट, दीर्घ मार्ग पर स्वीकृति अथवा नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, यदि—

(क) वाहन प्रारम्भिक पंजीयन दिनांक से 08 वर्ष से अधिक पुरानी हो;

(ख) ऐसे वाहन की बैठक क्षमता :—

(एक) चालक एवं परिचालक को छोड़कर डीलक्स बस के मामले में 35 सीट से कम हो:

परन्तु डीलक्स शयन कोच अथवा डीलक्स अर्ध-शयन कोच के संबंध में उक्त सीट संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

(दो) चालक एवं परिचालक को छोड़कर साधारण बस के मामले में 40 सीट से कम हो, जो इन नियमों के नियम 158 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अध्यधीन होगा :

परन्तु उक्त प्रावधान पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता, यदि कोई हो, वाहन की आयु और बैठक क्षमता के संबंध में प्रावधानों के अध्यधीन होगा.

(2) मध्यम मार्ग पर प्रक्रम वाहन परमिट स्वीकृति या नवीनीकृत नहीं किये जायेंगे, यदि—

(क) वाहन प्रारम्भिक पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी है;

(ख) चालक एवं परिचालक को छोड़कर वाहन की बैठक क्षमता 35 अथवा 35 से कम हो, जो इन नियमों के नियम 158 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अध्यधीन होगा:

परन्तु डीलक्स शयन कोच अथवा डीलक्स अर्ध-शयन कोच के संबंध में भी उक्त सीट संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

परन्तु यह और भी कि उक्त प्रावधान पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता, यदि कोई हो, वाहन की आयु और बैठक क्षमता के संबंध में प्रावधानों के अध्यधीन होगा.

(3) लघु मार्गों पर प्रक्रम वाहन परमिट स्वीकृत या नवीनीकृत नहीं किये जायेंगे. यदि वाहन अपने प्रारम्भिक पंजीयन दिनांक से 12 वर्ष से अधिक पुरानी हो :

परन्तु उक्त प्रावधान पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता, यदि कोई हो, वाहन की आयु और बैठक क्षमता के संबंध में प्रावधानों के अध्यधीन होगा.

(4) इन नियमों के अधीन स्वीकृत प्रक्रम वाहन परमिट उस तिथि से अविधिमान्य हो गई मानी जाएगी, जब परमिट से आच्छादित प्रक्रम वाहन दीर्घ मार्ग के मामले में 08 वर्ष पूर्ण कर लेती हो, मध्यम मार्ग के मामले में 10 वर्ष, और लघु मार्ग के मामले में 12 वर्ष पूर्ण कर लेती हो, जब तक कि परमिटधारी द्वारा वैधता समाप्ति दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर ऐसी प्रक्रम वाहन को प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, और जहां परमिटधारी पन्द्रह दिवस के भीतर वाहन प्रतिस्थापित करने में असफल होता है, तो वह परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी के कार्यालय में ऐसे परमिट को निरस्ती करने के लिए समर्पित करेगा.

(3) इस नियम के उप-नियम (1) एवं (2) के प्रावधान इन नियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 24 माह की कालावधि के पश्चात् इस नियम के प्रवृत्त होने के पूर्व स्वीकृत प्रक्रम वाहन परमिट पर लागू होंगे.

(4) **राज्य सरकार की छूट देने की शक्ति.**—राज्य सरकार किसी विशेष क्षेत्र अथवा विशेष वाहनों के प्रकार के संबंध में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अपने आदेश द्वारा लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए ऊपर दी गई शर्तों में से एक या किसी से भी छूट प्रदान कर सकेगी.

No. 621/तक./परि./2011.— In exercise of the powers conferred by Section 65, 96 and 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After Rule 70, the following Rule 70-A shall be added, namely :—

"70-A. Guiding principles for grant and renewal of Stage Carriage Permits—

(1) To ensure safety and convenience of travelling passengers, routes shall be classified as follows :—

(a) Short route which covers a distance of not more than 65 Kms., one way,

(b) Medium route which covers a distance of over 65 Kms., but not exceeding 165 Kms, one way, and

(c) Long route which covers a distance of more than 165 Kms, one way.

(2) The grant and renewal of Stage Carriage Permit shall be subject to the following provisions :—

(i) No Stage Carriage Permit shall be granted or renewed on long routes if—

(a) The vehicle is more than 08 years old from the date of initial registration;

(b) The seating capacity of such vehicle is;—

(One) Less than 35 seats in case of deluxe bus excluding driver and conductor :

Provided that in respect of deluxe sleeper coach or deluxe semi-sleeper coach the above restriction of seats shall not be applicable.

(Two) Less than 40 seats in case of ordinary bus excluding driver and conductor, subject to the provision of sub-rule (3) of Rule 158 of this rules :

Provided that the above provision shall be subject to the provisions of Reciprocal Transport Agreement if any, with the neighbouring States, in respect of age of the vehicle and seating capacity.

(ii) No Stage Carriage Permit shall be granted or renewed on medium routes if—

(a) The vehicle is more than 10 years old from the date of initial registration;

(b) The seating capacity of vehicle is 35 or less than 35 excluding the driver and conductor, subject to the provision of sub-rule (3) of Rule 158 of this rules :

Provided that in respect of deluxe sleeper coach or deluxe semi-sleeper coach the above restriction of seats shall not be applicable :

Provided further that the above provision shall be subject to the provisions of Reciprocal Transport Agreement if any, with the neighbouring States, in respect of age of the vehicle and seating capacity.

(iii) No Stage Carriage Permit shall be granted or renewed on short route if the vehicle is more than 12 years old from the date of initial registration :

Provided that the above provision shall be subject to the provisions of Reciprocal Transport Agreement if any, with the neighbouring States, in respect of age of the vehicle and seating capacity.

(iv) A Stage Carriage Permit granted under this rules shall be deemed to be invalid from the date on which stage carriage covered by the permit completes 08 year in case of long route, 10 years in case of medium route and 12 years in case of short route, unless such stage carriage is replaced within Fifteen days from the date of expiry by the permit holder. Where the permit holder fails to replace the vehicle within Fifteen days he shall surrender the permit for cancellation in the office of permit granting Authority.

(3) The Provision of sub-rule (1) and (2) of this Rule shall apply to a Stage Carriage Permit granted prior to the coming into force of this rule after a period of Twenty Four months from the date of the publication of this Rule in the Official Gazette.

(4) **Powers of State Government to grant relaxation.**—The State Government may grant relaxation, partially or completely by order in respect of particular area or particular type of vehicles from one or any of the above conditions, giving reasons in writing.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

कांकेर, दिनांक 27 मई 2011

क्रमांक/2896/भू-अर्जन/कले./2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत्त अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	बुदेली	2.37	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, उत्तर बस्तर कांकेर.	दुधावा दायीं तट नहर निर्माण योजना हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 31 मई 2011

क्रमांक/3722/भू-अर्जन/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बड़गांव प. ह. नं. 98	9.862	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	मोहड़ परियोजना के अंतर्गत फीडर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 मई 2011

क्रमांक/3723/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गयें सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	चिखलाकसा प. ह. नं. 41	10.875	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, खरखरा मोहदीपाट परियोजना, दुर्ग.	मोहड़ जलाशय परियोजना दायीं तट फीडर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 मई 2011

क्रमांक/3724/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	रेंगाकठेरा प. ह. नं. 14	0.207	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज की रेंगाकठेरा लघु नहर क्र.-1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 मई 2011

क्रमांक/3725/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	पाण्डुका प. ह. नं. 59	0.012	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज की पाण्डुका लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 मई 2011

क्रमांक/3726/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	बरनालाकला प. ह. नं. 19	2.05	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	राऊरकसा एनीकट के डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 मई 2011

क्रमांक/3727/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	ठाकुरटोला प. ह. नं. 03	1.07	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	ठाकुरटोला एनीकट के डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 मई 2011

क्रमांक/3728/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	कोलेन्द्रा प. ह. नं. 04	0.63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	ठाकुरटोला एनीकट के डुबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 मई 2011

क्रमांक/3729/भू-अर्जन/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	परेवाडीह प. ह. नं. 98	15.339	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	मोहड़ परियोजना के अंतर्गत फीडर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 मई 2011

क्रमांक/3730/भू-अर्जन/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	मासुलकसा प. ह. नं. 98	9.536	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	मोहड़ परियोजना के अंतर्गत फीडर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 मई 2011

क्रमांक/3731/भू-अर्जन/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजमिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	गोड़लवाही प. ह. नं. 98	10.637	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	मोहड़ परियोजना के अंतर्गत फीडर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 मई 2011

क्रमांक/3732/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णि भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों, को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	लालूटोला प. ह. नं. 41	7.433	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	मोहड़ जलाशय परियोजना दायीं तट फीडर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 24 मई 2011

क्रमांक/209/भू-अर्जन/वाचक/वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	थरगांव प. ह. नं. 31	608	0.061	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु) रायपुर संभाग, रायपुर.	जोंक नदी पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम-थरगांव.
			611	0.061		
			618/2	0.230		
			618/4	0.101		
			618/1	0.049		
			618/3	0.162		
			616	0.021		
			617/3	0.008		
			617/5	0.021		
			617/4	0.021		
			617/6	0.021		
			617/14	0.016		
			612/2	0.027		
			617/7	0.020		
			612/3	0.021		
			617/9	0.041		
			700/2	0.081		
			700/1, 700/3	0.067		
			610	0.029		
			617/1	0.008		
			701	0.176		
			702/1	0.032		
			702/2	0.032		
			612/1	0.053		
			615	0.061		
			627	0.137		
			622	0.081		
			623	0.032		
		योग	**27**	**1.670**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-र्सा

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 19 अप्रैल 2011

रा. प्र. क्र./04/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रेमनगर	उमेश्वरपुर	15.74	कार्यपालन यंत्री (सि.), सर्वे एवं अनु. संभाग छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी थर्मल पावर परियोजना, प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनन्जय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 मई 2011

क्रमांक 02/अ-82/10-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-सल्का, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.55 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
410	1.15
409	0.40
योग	1.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सल्का व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 जून 2011

क्रमांक/3871/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-हितागुटा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.279 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
392	0.222
393	0.021
394	0.021
395	0.016
योग 4	0.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सांगली हितागुटा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 जून 2011

क्रमांक/3872/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-हज्जूटोला, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.95 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
165	1.60
158/2	0.40
158/12	0.04
161/6	0.34
158/9	0.30
158/14	0.30
158/15	0.10
161/7	0.34
158/3	0.85
158/8	1.00
155/1	0.15
155/3	0.50
156	0.03
157	2.00
योग 14	7.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हालमकोड़ो जलाशय के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 जून 2011

क्रमांक/3873/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अं. चौकी

(ग) नगर/ग्राम-हालमकोड़ो, प. ह. नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.41 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	79/4	0.55
	80	0.86
योग	2	1.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हालमकोड़ो जलाशय के उलट नाली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 2 जून 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पोड़ी-उपरोड़ा

(ग) नगर/ग्राम-रानी अटारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.962 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1/1 क	0.255
	1/2	0.773
	1/5	0.348
	1/6 क	0.445
	1/7	0.773
	1/8	0.773
	1/9	0.202
	2/1	1.004
	3/1	0.138
	3/2	0.275
	3/3	0.271
	3/4	0.271
	4	0.607
	6/1	0.057
	6/2	0.057
	6/3	0.057
	7/1	0.081
	7/2	0.073
	7/3	0.073
	8	0.089
	9	0.275
	10	0.065
योग	22	6.962

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आवास गृह निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 जून 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-धनागर, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.694 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	154/3	0.012
	233/17	0.113
	164/4	0.182
	168/8	0.032
	233/13	0.020
	235/1	0.024
	236/1	0.008
	238	0.110
	360/10	0.072
	360/7	0.097
	253/3	0.024
योग	11	0.694

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 जून 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 77/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-राईतराई, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.337 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	23/1	0.004
	35/5	0.069
	35/6	0.053
	35/7	0.069
	35/8	0.053
	38/4	0.089
योग	6	0.337

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की धनगांव वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 जून 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 78/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कोतरा, प. ह. नं. 09

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.501 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	677/2	0.089
	678/4	0.122
	682/1	0.032
	683/3	0.020
	684/1	0.026
	109/1	0.028
	697/1	0.105
	684/2	0.008
	91/2	0.615
	113/1	0.040
	108/1	0.008
	112/1 क/3	0.073
	112/1 क/4	0.254
	595/3 ग	0.081
योग	14	1.501

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 जून 2011

क्रमांक 8616 क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

(ख) तहसील-बलौदा

(ग) नगर/ग्राम-बक्सरा, प. ह. नं. 31

(घ) लगभग क्षेत्रफल-205.17 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/2	0.52
2/3	0.43
3	1.30
4	0.35
5	0.02
7/1	1.90
7/3	0.50
7/4	0.50
7/7	0.57
9/1	0.64
9/2	0.70
9/3	0.64
10	0.46
11	1.00
12	0.58
13	1.97
14	1.94
15/1	1.22
15/2	1.22

(1)	(2)	(1)	(2)
16/1	2.03	63/1, 63/2	0.42
16/2	0.57	64	0.27
16/3	0.50	65	0.90
19/1	1.97	66	0.30
19/2	0.50	67	0.72
22/1, 22/3	8.03	69/3	0.36
22/2	0.15	69/4	0.21
22/4	0.50	70	2.34
22/5	0.47	71/1	1.17
22/6	0.50	71/2	0.30
23/1	0.31	74/2	0.75
23/2, 25/1	0.15	74/3	1.55
24	0.36	76/1, 76/2, 76/3	0.77
25/2	0.35	76/4	0.33
25/3, 54	0.13	77/1	0.60
26	0.37	77/2	0.50
27	0.32	78, 79	2.36
29	0.10	80, 82/1	0.96
32	0.09	81	1.42
35	0.80	83/1, 84/1	0.78
36	0.24	84/2, 85/1	0.21
37	0.10	84/3, 85/2	0.27
38/4	0.20	86	0.10
41/1	0.44	87	0.11
42	0.20	88, 89	0.44
43	0.10	90/1	0.08
44/1	0.48	91	0.39
44/2	0.74	92/1	0.56
44/3	0.28	92/3, 98	0.83
45, 46	0.80	92/4	0.78
47	0.04	93	0.12
48	0.22	94	0.14
49	0.14	95	0.10
50	0.20	96	0.08
51/1	0.55	99	0.20
51/2	0.15	100	0.25
52/2	0.74	102/2, 117	0.13
53	0.10	102/3	0.12
55/1	0.12	103/1	0.50
55/2	0.24	103/2	0.65
56, 57/2	0.20	103/3	1.86
57/1	0.20	104	0.42
58/2	0.40	110	6.35
60, 61	0.47	111, 112	1.68
62/1	0.50	115	0.50
62/2	0.58	119/3	0.28

(1)	(2)	(1)	(2)
120	0.08	462/8	0.35
121, 122	0.19	463/1	0.35
133/2, 167, 184/2	2.63	463/2	0.17
184/1	1.10	463/3	0.10
186	0.10	464/1	1.69
199	0.12	464/2	0.34
434	0.48	465	0.35
435	0.16	466	0.70
436	0.15	467	0.75
437	0.08	468/1 क	1.62
438	1.11	468/1 ख	0.67
439, 444	0.35	468/1 ग	1.33
440	0.16	468/2	0.36
441	0.06	468/4	0.14
442	0.09	468/5	0.50
443	0.22	469	1.16
445	0.03	470	0.74
446/1	0.10	471	2.96
446/2	0.10	472/1	0.22
447	0.16	472/2	0.22
448	0.10	472/3	0.16
449/1, 449/2	1.90	472/4	0.16
450	0.12	473	0.96
451	2.47	474	0.59
453	0.10	476/1	0.36
454/2	0.46	477/1	0.60
455	1.74	477/2	0.36
456/1	1.00	478	0.20
456/2	0.70	479	0.94
456/4	1.00	480/1, 481/1	0.67
456/5	1.55	480/2, 481/2	0.68
456/6	1.00	482/3	0.14
457/1	0.87	483	0.10
457/2	0.55	484	0.07
459	1.28	486/1	0.32
460/1	0.29	486/2, 486/3	0.48
460/2	0.61	487/1	0.42
460/3	0.19	487/2	0.12
460/5	0.44	488	2.40
460/6	0.20	490/3	2.00
461	0.12	490/4	0.40
462/2	0.28	492	0.27
462/3	0.29	493	0.09
462/4	0.50	495/1	0.23
462/5	0.35	496, 498	0.17
462/6	1.10	497	0.04
462/7	0.64	499/2	0.05

(1)	(2)	(1)	(2)
499/3	1.62	522/21	0.50
500	0.12	523/1	1.99
501/1, 518/1	0.75	523/2	4.00
501/2	2.00	537/1	0.08
501/3	0.40	537/3	0.20
501/4, 518/2	0.75	537/6	0.20
501/5	0.50	537/11	0.18
501/6	0.50	538/1, 539/1	0.12
502	2.48	538/2, 539/2	0.40
504/1	0.50	540	0.76
504/2	1.30	541	1.00
504/3	0.21	542/2, 543/1	0.65
504/4	0.21	542/3	0.11
504/5	0.23	542/4	0.20
504/6	0.23	542/5	2.10
506	0.88	542/6	0.11
507	2.40	543/2	0.15
508	1.44	544	0.33
510/1	0.18	546/1	0.04
510/2	0.18	546/2	0.04
511	0.33	547	0.38
512	1.50	548	0.40
513	1.08	550/1	0.70
514	0.64	550/2, 557/1	0.10
515	0.44	550/3	0.10
516	0.50	550/4	0.36
517/1	0.32	550/5	0.30
517/2	0.16	550/6	0.60
519/1	0.27	550/7	0.43
519/2	0.55	550/8, 559	0.35
520/1	1.04	550/9, 557/3	0.10
520/2	0.70	550/10, 557/4	0.20
521/1	2.71	550/11, 557/5	0.10
521/2	0.43	550/12	0.43
521/3	0.94	551, 552	0.71
521/4	0.30	553/1	0.36
522/1	3.50	553/2	0.37
522/4	0.53	554	0.64
522/5	0.57	555/1	0.14
522/6	7.32	555/2	0.14
522/7	2.06	556, 557/2	0.58
522/8	0.86	557/2	0.62
522/9	0.20	558	0.06
522/10	1.43	564/1 क	1.57
522/11	0.61	564/1 ख	0.04
522/14	1.00	564/1 ग	0.03

(1)	(2)
564/1 घ	0.03
564/1 ङ	0.03
564/2	0.10
564/3	1.57
564/4	0.10
571	0.10
573/2	0.07
575	0.16
593	0.20
640/2	0.70
योग 307	205.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड
बीज भवन, छ.ग. हाटल के सामने, रविग्राम, तेलीबांधा रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मई 2011

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/1289.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/8047 रायपुर दिनांक 31-03-2011 श्री अनिल कुमार शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मण्डी समिति धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर जिला-धमतरी के पत्र क्रमांक/22-विविध/भारसाधक/मंडी/10-11/06 दिनांक 28-05-2011 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री अनिल कुमार शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थानांतरण राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर हो जाने के परिणामस्वरूप वे भारमुक्त हो चुके हैं.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1976) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री अनिल कुमार शर्मा के स्थान पर श्री ए. आर. धृतलहरे, संयुक्त कलेक्टर, धमतरी को, आगामी आदेश पर्यन्त कृषि उपज मण्डी समिति, धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

अनिल कुमार साहू,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, अतिरिक्त तहसीलदार (आबकारी), रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्रमांक/आब./बकाया/2010/4208.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है कि आबकारी विभाग, जिला-रायपुर के निम्नांकित बकायादार के नाम से उनके नाम के सामने दर्शाये गई राशि की वसूली की जाना है. अत: उनकी चल/अचल संपत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशन के 1 माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्र.	रा.मा.क्र.	बकायादार का नाम	नाम दुकान	बकाया वर्ष	बकाया राशि
1.	1/बी. 96/ 2008-09	श्री विजय सिंह राजपूत वल्द रूपलाल सिंह राजपूत निवासी-बागनदी राजनांदगांव, तहसील/जिला राजनांदगांव (छ.ग.)	पापीस्ट्रा पी.एस. 2/3 रायपुर जिला समूह	2008-09	1870000/-

वाय. मेश्राम,
अतिरिक्त तहसीलदार.

न्यायालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ. ग.)

रायगढ़, दिनांक 31 मई 2011

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखें]

क्रमांक 146 बी 121/10-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कठली, प. ह. नं. 39, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम बड़ेभंडार, प. ह. नं. 39 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स कोरबा वेस्ट पॉवर कंपनी लिमिटेड, ग्राम छोटेभंडार पोस्ट बड़ेभंडार रायगढ़ द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कठली, प.ह.नं. 39, तहसील पुसौर जिला रायगढ़ कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाने जाने को प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
रायगढ़	पुसौर	ग्राम-कठली प. ह. नं. 39	312	0.004	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			115/2 ख	0.032	0.08
			311	0.040	0.10
			120/2	0.004	0.01
			310	0.065	0.16
			309	0.061	0.15
			205	0.089	0.22
			199	0.073	0.18
			162	0.028	0.07
			147/419	0.069	0.17
			147/1	0.016	0.04
			206	0.049	0.12
			204	0.049	0.12
			163	0.012	0.03
			203/2	0.040	0.10
			198	0.061	0.15
			114/3	0.073	0.18
			159/1	0.020	0.05
			119/1	0.061	0.15
			128/1	0.008	0.02
			161	0.093	0.23
			114/2	0.061	0.15
			151/1	0.008	0.02
			151/2	0.028	0.07
			151/3	0.053	0.13
			149/3	0.069	0.17
			114/1	0.040	0.10
			148/2	0.032	0.08
			116/3	0.004	0.01
			119/4	0.081	0.20
			148/1 ख	0.024	0.06
			115/2 क	0.040	0.10
			145	0.085	0.21
			146/1	0.057	0.14
			113/3	0.061	0.15
			113/2 ख	0.008	0.02
			112	0.008	0.02
			111/1	0.008	0.02
			115/1	0.020	0.05
			116/2	0.040	0.10
			116/4	0.008	0.02
			116/1	0.028	0.07
			119/2	0.008	0.02
			118	0.020	0.05
			12	0.093	0.23
				1.831	**4.52**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने में संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 मई 2011

प्रारूप-ख
[नियम 5 (1) देखें]

क्रमांक 146 बी 121/10-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम टपरदा, प. ह. नं. 39, तहसील **पुसौर, जिला रायगढ़** (छ.ग.) से परिवहन हेतु ग्राम बड़ेभंडार, प. ह. नं. 39 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ (छ.ग.) तक मेसर्स कोरबा वेस्ट पॉवर **कंपनी लिमिटेड,** ग्राम छोटेभंडार पोस्ट बड़ेभंडार रायगढ़ द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी है,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम टपरदा, प.ह.नं. 39, तहसील **पुसौर जिला रायगढ़** कि भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाने जाने को प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, **उपयोग के अधिकार** का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने **आशय की घोषणा करती है.**

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
रायगढ़	पुसौर	ग्राम-टपरदा प. ह. नं. 39	32/20	0.073	0.18
			32/16	0.028	0.07
			32/14	0.065	0.16
			32/4	0.061	0.15
			32/9	0.065	0.16
			32/3	0.065	0.16
			32/28	0.113	0.28
			24/1	0.073	0.18
			20/1	0.053	0.13
			18/2	0.020	0.05
			32/17	0.057	0.14
			32/19	0.081	0.20
			12/2	0.061	0.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			10/9	0.081	0.20
			10/5	0.008	0.02
				0.904	**2.23**

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने में संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

गोपाल जंघेल,
सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, छ.ग.

बिलासपुर, दिनांक 28 मई 2011

क्रमांक/2764/नग्रानि./2011.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सीपत विशेष क्षेत्र के लिये भूमि के उपयोग संबंधी मानचित्र का नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी प्रति उप तहसील कार्यालय भवन सीपत में एवं जिलाध्यक्ष कार्यालय बिलासपुर एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मुंगेली नाका, बिलासपुर, छ.ग. में दिनांक 01-06-2011 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

विशेष क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई है.

अनुसूची

उत्तर : ग्राम सेलर, झलमला, नरगोड़ा ठरकपुर, परसाही ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व : ग्राम ठरकपुर, हीडांडीह, दवनडीह, परसाही, दर्राभाटा, कोडिया, रांक एवं रलिया ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण : ग्राम खजूरी, पंधी, देवरी, गतौरा एवं रलिया ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम : ग्राम रलिया, गतौरा, पंधी, खजूरी, मोहरा एवं सेलर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मुंगेली नाका, बिलासपुर, छ.ग. को या निरीक्षण स्थल पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो संचालक द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल— उप तहसील कार्यालय भवन, सीपत (छ.ग.)

No. 2764/T&CP/2011.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Seepat Special Area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection w.e.f. 01-06-2011 in Office of Deputy Tahasil Office Seepat and the Office of the Collector, Bilaspur C.G. and Joint Director Town and Country Planning Office, Mungeli Naka, Bilaspur during office hours on working days. The limits of Seepat Special Area are detailed in Schedule given below :—

Seepat Special Area Limits

SCHEDULE

North	:	Village Selar, Jhalmala, Nargoda Tharakpur & up to the Northern limits of village Parsahi.
East	:	Village Tharakpur, Hindadih, Dawandih, Parsahi, Darrabhatha, Koudiya & up to the Eastern limits of village Raliya.
South	:	Village Khajuri, Pandhi, Deori, Gataura & up to the Southern limits of village Raliya.
West	:	Village Raliya, Gataura, Pandhi, Khajuri, Mohara & up to the Western limits of village Selar.

If thereby any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Mungeli Naka, Bilaspur or at the Exhibition place at Seepat within a period of thirty days from the date of publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified above will be considered by the Director.

Inspection Site— Duputy Tahasil Office, Seepat.

जे. सी. निदारिया,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बिलासपुर, दिनांक 27 मई 2011

क्रमांक/2209/आरटीए/2011.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 सहपठित मोटरयान अधिनियम 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 117 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर की सहमति से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार बिलासपुर संभाग एतद्द्वारा खसरा नंबर 1425, 1428, 1429, 1427, 1426, 1457, 1456, 1458, 1459, 1420, 1417 के भाग की कुल 8.53 एकड़ की समाविष्ट भूमि रायपुर-बिलासपुर मुख्य मार्ग, ग्राम तिफरा, जिला बिलासपुर स्थित दर्शाई चौहद्दी (1) उत्तर में उद्योग विभाग की भूमि पर बनी सड़क, (2) दक्षिण में उद्योग विभाग की सड़क, (3) पूर्व में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल आवासीय परिसर एवं (4) पश्चिम में उद्योग विभाग की खुली भूमि, को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 117 में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए लोकसेवा यानों के रूकने के प्रयोजन हेतु बिलासपुर में बस स्थानक के रूप में निर्दिष्ट करता है. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार बिलासपुर संभाग द्वारा "छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर" को उक्त बस स्थानक के रख-रखाव, उसके आवश्यक निर्माण कार्य करने तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 204 में यथा अनुबंधित उपबंध के अधीन लोकसेवा यानों के स्वामियों/संचालकों से आवश्यक शुल्क वसूल करने के लिए प्राधिकृत करता है.

आर. पी. जैन,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार.